

मु० नम्बर.....किस्म.....

उनवान.....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौ

दिनांक

फर्द अहकाम

13/7/2014

पत्रावली पेश हुई। वकील सापल
ने अवगत कराया है कि मूल दावा
फैसल हुए चुका है इसलिए 7-9
प्रॉपर चलने योग्य नहीं है।
स्वार्थित परमाणु जारी।

कान: मुकदमा नं० 41/2014
उनवानी विजयराजे 4/5 डिलीप
वगैरे प्रॉपर कानूनविरुद्ध निषेधाज्ञा
स्वार्थित किया जाता है। पत्रावली
फैसल सुमा डिकल मूल दावा
के साथ शामिल मिल रहा है।

कोर्टा खुले न्यायालय
में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

